• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u> </u>
ਜ਼ਰੂਆਂ ਜ਼ਰੂ / Dof No NITHIV/	Earth / Data
संदर्भ संo / Ref. No.NITUK/	दिनीक / Date:
	/ 2 a.c

बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन हेतु अनुरोध

Application for reimbursement of Children Education Allowance (CEA)/Hostel Subsidy (HS)
वित्तीय वर्ष के लिए दावा/Claim for the Financial Year _____

कर्मचारी का नाम / Name of the Employee :	कर्मचारी कोड / Employee Code:
पदनाम एवं विभाग / अनुभाग / Designation & Dept./Section:	
क्या विद्यालय / संस्थान केंद्र या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्रा शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जहां विद्यालय / संस्थान स्थित है? Whether School/Institute is recognized by the Central or State Govt. or UT administration or by University or recognized educational authority having jurisdiction over the area where the School/Institute is situated?	. () हां/Yes () नहीं/No a
क्या पति / पत्नी केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी / केंद्रीय या राज्य पी०एस०यू० कर्मचारी / बैंक / स्वायत्त निक कर्मचारी हैं (जो लागू न हो उसे काट दें? / Whether spouse is Central or State Govt. employee/Central or Sta PSU employee/Bank/Autonomous body employee (Strike out whichever is not applicable)?	te : () हां/Yes () नहीं/No
क्या पति / पत्नी बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी के हकदार हैं (यदि हां तो, निम्नलिखित विवरण प्रद करें)? / Whether spouse is entitled for Children Education Allowance (CEA) /Hostel subsidy (HS) (if yes, provious the following details)?	_
- जीवनसाथी का नाम / Name of the Spouse:	:
- उस कार्यालय का नाम व पता जहां कार्यरत हैं। / Name and address of the Office where employed:	:
- वेतन स्तर एवं मूल वेतन / Pay Level & Basic Pay:	·
- क्या बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी के लिए पात्र हैं। / Whether eligible for CEA/HS: (यदि हां, तो अपने नियुक्ता से प्रमाणपत्र जमा करें कि उसने अपने नियुक्ता से बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) / छात्रावास सब्सिडी का दावा नहीं किया (If yes, submit certificate from his/her employer that he/she has not claimed CEA/HS from his/her employer)	: है)
बच्चे / बच्चों का विवरण / DETAILS OF CHILD/CHILDRE	N
बच्चे / बच्चों का नाम	कथा के लिए दावा

बच्चे / बच्चों का विवरण / DETAILS OF CHILD/CHILDREN						
		1				
बच्चे / बच्चों का नाम Name of Child/Children	:	2			कक्षा के लिए दावा Claim for the Class	
	:	3*				
जन्मतिथि / DOB (dd/mm/yyyy)	:	1			पिछली दावा की गयी कक्षा / Last claimed class	
	:	2	ਰਸ਼ / Age			
	:	3*				
विकलांग (हां / नहीं)—यदि, हां केवल तभी जब बोर्ड द्वारा प्रमाणित और	:	1	विकलांगता का प्रकार (अस्थायी/स्थायी) & % Type of disability (Temporary/ Permanent) & %		विकलांगता घोषित की गई Disability declared from (dd/mm/yyyy) (कृप्या PWD प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें / Please enclose the copy of PWD certificate)	
पहले से ही स्थापना अनुभाग को घोषित कम से कम 40% विकलांगता हो।	:	2				
Disabled (Yes/No) - If, Yes only if at least 40% disability as certified by a Board and already declared to Establishment Section	:	3*				
विद्यालय का नाम, शहर और		1				
राज्य / School Name, City	:	2				
& State	:	3*		\· \ \	\ <u>`</u>	

* 31 / 12 / 1987 तक पैदा हुए तीन बच्चों तथा उसके बाद पैदा हुए दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के संबंध में एक समय में बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। हालांकि, बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी भी स्वीकार्य है, यदि दूसरे बच्चे के जन्म के परिणामस्वरुप जुड़वा या एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। नसबंदी आपरेशन की विफलता के मामले में, बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी सामान्य दो बच्चों के अलावा ऐसी विफलता की पहली घटना से पैदा हुए बच्चों के संबंध में स्वीकार्य होगा। The number of Children for whom the CEA/HS is drawn at a time should not exceed three in respect of children born upto 31-12-1987 and two eldest surviving children born thereafter. However, CEA/HS is also admissible, if the second child birth results in twins or multiple births. In case of failure of sterilization operation, the CEA/HS would be admissible in respect of children born out of the first instance of such failure beyond the usual two children.

	नाम / Name	राशि / Amount		निवास से	
क्र ०सं०/ S.No.		सी०ई०ए० / Children Education Allowance	एच०एस० / Hostel Subsidy	छात्रावास / संस्थान की दूरी (किमी में) / Distance from residence to Hostel/Institution (in Kms.)	टिप्पणी / Remarks
1.		₹	₹		
2.		₹	₹		
3.		₹	₹		
	कुल/Total	₹	₹		

नोट / NOTE:

- a) प्रति बच्चा प्रति माह बाल शिक्षा भत्ते के लिए ₹2,250/- और आनुपालिक आधार पर प्रति बच्चा प्रति माह छात्रावास सब्सिडी के लिए ₹6,750/- | ₹2,250/- for Children Education Allowance per month per child and ₹6,750/- for Hostel Subsidy per month per child on prorata basis.
- b) दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी निर्धारित सामान्य दरों से दोगुनी दर पर देय होगा। The CEA/HS for differently abled children shall be payable at double the normal rates prescribed.
- c) हर बार संशोधित वेतन संरचना पर मंहगाई भत्ता 50% बढ़ने पर सीमा स्वचालित रूप से 25% बढ़ जायेगी। The limits would be automatically raised by 25% every time the Dearness Allowance on the revised pay structure goes up by 50%.
- d) दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष या 12वीं उत्तीर्ण होने तक जो भी पहले हो। कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। / The upper age limit for Divyaang children is 22 years. In case of other children the age limit is 20 years or till the time of passing of 12th class whichever is earlier. There is no minimum age.
- e) बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए लागू होगी, जिसमें कक्षा 11वीं एवं 12वीं भी शामिल है यानी कक्षा एक से 12वीं कक्षा से पहले दो कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में और डिप्लोमा के शुरुआती दो वर्षों के लिए भी स्वीकार्य है। पॉलिटेक्निक / आई०टी०आई० से सर्टिफिकेट कोर्स, यदि बच्चा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पाठयक्रम करता है और कर्मचारी को 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ाई के लिए बच्चे के संबंध में बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी प्रदान नहीं किया जायेगा। पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के मामले मे भी बाल शिक्षा भत्ता की अनुमित है। / The reimbursement of CEA/HS shall be applicable for children from class Nursery to twelfth, including classes 11th and 12th i.e. admissible in respect of children studying from two classes before class one to 12th standard and also for the initial two years of a diploma/certificate course from Polytechnic/ITI, if the child pursues the course after passing 10th standard and the employee has not been granted CEA/HS i.r.o. child for studies in 11th and 12th standard. CEA is also allowed in case of children studying through correspondence or distance learning.

घोषणा / DECLARATION

- प्रमाणित किया जाता है कि दावा मेरे वैध/कानूनी रुप से गोद लिये गये बच्चे/पूर्ण रुप से मुझ पर निर्भर बच्चों से संबंधित है।
 Certified that the claim relates to my legitimate/legally adopted child/children wholly dependent on me.
- 2) प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे / बच्चों के लिए निर्दिष्ट शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी वास्तव में मेरे द्वारा विद्यालय / संस्थान को भुगतान कर दिया गया है। / Certified that the Education Allowance (CEA) / Hostel Subsidy (HS) indicated against the Child/Children has actually been paid by me to the school/Institute.
- 3) प्रमाणित किया जाता है कि दावे में शामिल अवधि के दौरान बच्चा नियमित रूप से विद्यालय गया और एक महीने से अधिक की अवधि के लिए उचित छुट्टी के बिना विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा।/Certified that during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent himself/herself from the school without proper leave for a period exceeding one month.
- 4) प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये विवरणों में किसी भी बदलाव की स्थिति में, जो बाल शिक्षा भत्ता / छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए मेरी पात्रता को प्रभावित करता है, मै तुरंत इसकी सूचना देने और अतिरिक्त भुगतान, यदि कोई हो, वापस करने का वचन देता हूं। / Certified that in the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for reimbursement of Children Education Allowance/Hostel Subsidy, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payment, if any made.
- 5) प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के प्रमुख का प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है। / Certified that the certificate from Head of Institution has been attached.
- 6) प्रमाणित किया जाता है कि संस्थान के प्रमुख का प्रमाणपत्र जिसमें स्पष्ट रूप से राशि का उल्लेख है (छात्रावास सब्सिडी के लिए) संलग्न किया गया है।/Certified that the certificate from Head of Institution clearly mentioning the amount has been attached (for Hostel Subsidy).
- 7) प्रमाणित किया जाता है कि मैनें या मेरे पित / पत्नी ने किसी अन्य स्त्रोत से इस प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया है और भविष्य में भी इसका दावा नहीं करुंगा। / Certified that I or my spouse has not been claimed this re-imbursement from any other source and will not claim the same in future.
- 8) प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा जिसके संबंध में बाल शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति लागू की गई है, उस विद्यालय / कॉलेज में पढ़ रहा है जो शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त और संबंद्ध है। / Certified that my child in respect of whom reimbursement of Children Education Allowance is applied is studying in the School/College which is recognized and affiliated to Board of Education/University.
- 9) प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा मेरे निवास से कम से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहा है। Certified that my child studying in a residential educational institution located at least 50 kilometers from my residence.
- 30) ऊपर दिया गया विवरण / जानकारी पूर्ण और सही है और मैंने कोई भी प्रासंगिक जानकारी नहीं छिपाई है। इसके अलावा, मुझे पता है कि, यदि किसी भी स्तर पर ऊपर दी गई जानकारी / दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो मैं सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हूं।/The particulars/information furnished above is complete and correct and I have not suppressed any relevant information. Further, I am aware that, if at any stage the information/documents furnished above is found to be false, I am liable for disciplinary action under CCS (Conduct) Rules, 1964.

दिनांक / Date:	कर्मचारी के हस्ताक्षर/Signature of employee
अग्रेषित / Forwarded अग्रेषित नहीं किया गया / Not Forwarded	

विभागाध्यक्ष / अनुभाग प्रमुख / समन्वयक के प्रतिहस्ताक्षर

केवल कार्यालय प्रयोग हेतू / FOR OFFICE USE ONLY

क्र०सं०	नाम / Name	दावा राशि / Amount claimed		राशि स्वीकार्य / Amount admissible	
S.No.	1117 Name	सीईए / CEA	एचएस / HS	सीईए / CEA	एचएस / HS
1.		₹	₹	₹	₹
2.		₹	₹	₹	₹
3.		₹	₹	₹	₹
	कुल / Total	₹	₹	₹	₹

पारिवारिक विवरण सत्यापन विवरण की जांच एवं सत्यापन Family particulars verified Particulars checked and verified कनिष्ठ सहायक (स्थापना) सहायक / उप-कुलसचिव (स्थापना) अधीक्षक (स्थापना) Asstt./Dy. Registrar (Estt.) Junior Assistant (Estt.) Superintendent (Estt.) दावा / बिलों की जांच दावा / बिलों की जांच एवं सत्यापन Claim/bills checked Claim/bills checked and verified कनिष्ठ सहायक (लेखा) अधीक्षक (लेखा) सहायक / उप-कुलसचिव (लेखा) Junior Assistant (A/cs.) Superintendent (A/cs.) Asstt./Dy. Registrar (A/cs.) अनुमोदित / Approved अनुमोदित नहीं किया गया / Not Approved कुलसचिव / Registrar

सेवा में / To

सहायक / उप-कुलसचिव (लेखा) / Asstt./Dy. Registrar (Accounts)

CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL

(FOR REIMBURSMENT CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE & HOSTEL SUBSIDY)

Ref.No			Date:			
It is certified that Mas	ter/Kumari			having		
Roll No.	ter/Kumari D.O.B	Son/Dau	ghter of	Mr./Mrs./Dr./Prof.		
	is a bona	fide student of the	his school and	studied in Class		
Section	is a bona during the	Financial Year		and as per		
school records his/her d	ate of birth is	·		·		
The	Scho	ol/Institution,		namely		
		·	is	recognized by		
				egistered affiliation		
No./Code	and having the _	Curric	ulum/pattern.	28.01010u uu		
* During the year M	laataw/Kumaawi			had		
* During the year M		of the school and	noid on oneunt	had		
resided in the resident towards boarding and lo			paid an amount	01 - 1		
* Strike out if it is not a	applicable.					
Place:		Signa	ature of Head of th	ne School/Institution		
Date:		6		ith Stamp and seal)		
NOTE: In the absence of ce [including e-receipts(s)] com academic year i.e. twelve m studying in a residential edservant.	firming/indicating that the norths of complete academ	fee deposited for the e nic session. Hostel subs	ntire academic year. idy is applicable only	The period/year means in respect of the child		
The reimbursement of Child child in his/her class. In oth stopped. However, if the ch same class in previous school	ner words, even if a child f ild is admitted in the sam	fails in a particular class se class in another schoo	s, the reimbursement ol, although the child	of CEA/HS shall not be		
	SELF	<u>DECLARATION</u>				
l,				t my Son/Daughter		
namely			studied in C	Class		
namely Roll	No	during the F	inancial Year	in		
				·		
In the event of any checked Education Allowance. I made to me.		_		_		
Encl: Self-attested copies	of the report card and	fee receipts(s) [includ	ling e-receipts(s)].			
Date:			Sign	nature of applicant		